फर्द अहकाम

(नियम 20)

.त (राजस्व) मुकाम

.स्थान सरकार जरिये पटवारी बनाम जंगीरो पुत्री सावणा हल्का 28 NP

किस्म मुकद्मा नाजायज काश्त धारा 22 उपनि सं. 116 सन् 2020 अधिनियम 1954

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय	नम्बर व तारीख अहम की जो इस हुक्म की तामिल में जारी किये
11-09-2020	रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर हल्का प्राप्त हुई है कि अप्रार्थी श्री जंगीरो पुत्र श्री सावणा जाति बावरी साकिन कुंडी ने चक 28NPB. के मु.नं. 48 कि.नं. 16, 17, 18, 19, 20 में कुल 0.759 हैक्टर/बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत् 2077 (खरीफ) में नाजायज काश्त की है अतः रिपोर्ट के आधार पर उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध नाजायज काश्त की पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे एवं अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब हो तथा गिरदावर हल्का का पत्रावली में आगामी निर्णय तक किसी उच्च अदालत का स्थगन आदेश न हो तो फसल अपनी तहवील मे लेने बाबत आदेश जारी होकर पत्रावली दिनांक 24-09-2020 को पेश हो	
24-09-2020	⇒ पत्रावली पेशी में ली गई, अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामिल के पेशी पर उपस्थित नही, उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर अंतिम घोषित किया जाता है। निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली हो। निर्णय अनुसार ILR। पटवारी हल्का को लिखा जावे। पालनोपरान्त पत्रावली निर्णय नुसार होकर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Amar Singh Bhankhad
Date: 2020.12.18 16:13:07 IST
Reason: SelfAttested